दिया कि अगर विवादित जमीन पर मोहन का कब्जा पाया जावे तो इस आवंटन को सही नहीं माना जावे। इस पर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें कब्जा अपीलान्ट का होना पाया गया। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट को इस जमीन का खातेदार नहीं माना जा सकता एवं अपीलान्ट के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए इस आधार पर प्रार्थना पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर **RBJ (6) 1999 Page 414, RBJ (2) 1995 Page 475, RBJ (27) 2020 Page 82** प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट विवादित भूमि का खातेदार नहीं है, जिसे स्वयं अपीलान्ट ने भी अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है, मात्र पुराने कब्जे के आधार पर अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट अंकित किया है कि "प्रार्थी आराजी का खातेदार नहीं है, विवादित आराजी दिनांक 19.06.1982 को विपक्षी संख्या 1 को आवंटित हुई थी। जिस पर प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 29.11.1983 को खारिज हो गयी। जिस पर प्रार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी में अपील प्रस्तुत की जो मंजूर की गयी, जिस पर विपक्षी ने रेवेन्यू बोर्ड में अपील प्रस्तुत की जिसमें रेवेन्यू बोर्ड ने अपने निर्णय दिनांक 29.08.1989 में कब्जा विपक्षी संख्या 1 का माना एवं उनके हक में निर्णय दिया। जिस पर प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की, जो खारिज कर दी गयी।" इस प्रकार प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय तक निर्णय पारित हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–08–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2019 (राजसमन्द आर्डर)

मोहन पिता उदा जी लोहार, निवासी सीमाल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

जयसिंह पिता गंगाराम जी जाट, निवासी जटीयाखेड़ी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट प्रकरण संख्या 349/2016 दिनांक 21.08.2019

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रितेश टुकलिया अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

–––::–––

निर्णय दिनांक 19–09–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सीमाल में आराजी नंबर 1248/19 (पुराने नंबर) जिसके नये नंबर 1271/19 व 1301/19 स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा 38 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है, जिसके संबंध में तहसीलदार आमेट के यहां कार्यवाही चली, जिसके नंबर 484 सन् 82 नाजायज कब्जा होकर फैसला सन् 82 में कर दिया गया, किन्तु प्रार्थी के पीठ पीछे प्रार्थी के कब्जे को देखे बिना विपक्षी को आराजी नंबर 1248/19 में से 1 हैक्टर का आवंटन कर दिया गया, जबकि उस दिन कब्जा प्रार्थी का था। उक्त आवंटन की आड़ में विपक्षी प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करता है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 21–08–2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री रितेष टुकलिया उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि रेस्पोन्डेन्ट आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:51 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner